'निबंधन एवं शर्तें

वित्त नियंत्रक (एनएचएम-वित्त)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की ओर से विशुद्ध रूप से अनुबंध आधार पर उपर्युक्त उल्लेखित पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

प्रभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग
रिपोर्टिंग अधिकारी	निदेशक/उप सचिव (एनएचएम-वित्त)
पद का नाम	**वित्त नियंत्रक**
पदों की संख्या	**एक**
तैनाती का स्थान	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

1. पृष्ठभूमि

पीएम-एबीएचआईएम मई, 2020 में माननीय वित्त मंत्रालय द्वारा यथा घाषित स्वास्थ्य क्षेत्रके लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन हेतु कुछ केन्द्रीय क्षेत्र घटकों सहित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए स्वास्थ्य अवसंरचना निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरनाऔर जन-स्वास्थ्य अवसंरचना को प्रभावी ढंग से सुदृढ़ करना और भविष्य में किसी भी महामारी और प्रकोप के प्रबंधन और अनुक्रिया है।

2. उद्देश्य

केंद्रीय स्तर पर वित्त नियंत्रक को पीएम-एबीएचआईएम के तहत निधियों के प्रबंधन की निगरानी और निधियों को जारी करने, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, अव्ययित शेष, सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा, उपयोग प्रमाण-पत्रों, क्षेत्र समीक्षा दौरों और उन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई सहित समग्र वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करने के लिए अन्य केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों की (आवश्यकता के अनुसार) निगरानी करनी होगी ।

3. कार्यक्षेत्र

मुख्य जिम्मेदारियां:

(i) दिशा-निर्देशों और मानकों के आधार पर निधियां जारी करने संबंधी प्रस्तावों की यथार्थता / अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ii) आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय विश्लेषक और वित्त सहायकों के दल का पर्यवेक्षण, निगरानी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना।

(iii) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर टैली का कार्यान्वयन करना।

(iv) विकास भागीदारों के साथ समन्वय, पात्र व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावे तैयार करके उन्हें प्रस्तुत करना।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षाओं की व्यवस्था करना लेखा परीक्षा की निगरानी, समीक्षा, विश्लेषण करना तथा भारत सरकार की टिप्पणियों का अनुपालन करना और विकास साझेदारों को समय पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(vi) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समवर्ती लेखा-परीक्षाओं की निगरानी और कार्यान्वयन करना जिसमें समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, मासिक रिपोर्टों की प्राप्ति और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

(vii) राज्यों, एनआईएचएफडब्ल्यू तथा अन्य संस्थानों में राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर वित्त एवं लेखा कर्मचारियों का समय-समय पर क्षमतानिर्माण करना।

(viii) राज्य/ जिला/ ब्लॉक स्तर पर पीएफएमएस के कार्यान्वयन की निगरानी करना जिसमें समय-समय पर पीएफएमएस संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

अन्य जिम्मेदारियां:

(i) पीएम-एबीएचआईएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए निधि जारी करने हेतु निर्गम, व्यय एवं अव्ययीत शेष राशि की निगरानी करना।

(ii) एफएमआर, निधियों की स्थिति के विवरण की समय पर प्राप्ति तथा उनके विश्लेषण की निगरानी करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीएम-एबीएचआईएम कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का मिलान करना।

(iii) आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समस्त वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा संबंधी मामलों में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना और उनके बारे में फीडबैक देना।

(iv) संसदीय प्रश्नों/समितियों, आरटीआई, वीआईपी संदर्भों, सीएजी एवं डीजीएसीई की लेखा परीक्षाओं आदि के लिए जानकारी/डाटा उपलब्ध कराना।

(v) राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरों पर पीएम-एबीएचआईएम के तहत वित्तीय निष्पादन संकेतकों, तथा वित्तीय एवं लेखाकरण संबंधी प्रक्रियाओं में समरूपता की निगरानी करना।

(vi) वित्तीय प्रबंधन निष्पादन समीक्षा, वित्तीय अध्ययनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संयुक्त दल के दौरे की व्यवस्था करना और सुधार लाने के लिए सिफारिशों के साथ स्थिति

रिपोर्ट तैयार करना। जेआरएम, सीआरएम में भाग लेना और उनकी सिफारिशों की टिप्पणियों और कार्यान्वयन के साथ रिपोर्ट तैयार करना।

(vii) पीएम-एबीएचआईएम के तहत निधियां जारी करने हेतु लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का कार्यान्वयन करना।

(viii) आबंटित राज्यों की वार्षिक पीआईपी का मूल्यांकन करना, नोडल अधिकारियों को प्रारूप/अंतिम टिप्पणियां उपलब्ध कराना और एनपीसीसी के विचार-विमर्श में भाग लेना।

(ix) पीएम-एबीएचआईएम के अधीन राज्य कोषागार से राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के बैंक खाते में निधियों के अंतरण की निगरानी रखना।

(x) समय-समय पर सौंपागया अन्य कार्य।

4. आउटपुट

सभी कार्यों एवं जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना और प्रत्येक तिमाही के अंत में की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट निदेशक/ उप-सचिव (एनएचएम-वित्त) को प्रस्तुत करना।

5. अर्हताएं और अनुभव

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एमबीए (वित्त)/सीए/पीजीडीबीएम (वित्त)/पीजीडीबीए (वित्त) सामाजिक क्षेत्र, निजी या सरकारी क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन संचालन में सरकारी स्थापना में सरकारी लेखाकरण, निधि प्रवाह प्रबंधन, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा योजना-वार व्यय रिपोर्टिंग का कम से कम 6 वर्ष का अनुभव। लेखाकरण पैकेजों; प्रणाली विश्लेषण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यादि के विकास में अनुभव एक अतिरिक्त अर्हता होगी।

6.आयु:

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तक होनी चाहिए।

7. यात्रा एवं भत्ता

परामर्शदाता को राज्य/जिले/ब्लॉक/ग्राम स्तरों पर व्यापक रूप से यात्रा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राएं निदेशक/उप-सचिव (एनएचएम-वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से अधिकृत होनी चाहिए। यात्रा के समय परामर्शदाता को भारत सरकार के नियमानुसार रहने/ ठहरने पर हुए व्यय केलिए निर्धारित दैनिक भत्ता देय होगा।

8. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

'परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक/उप-सचिव (एनएचएम-वित्त) को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9. परामर्श सेवा की अवधि

आरंभ में यह अवधि दिनांक 31 मार्च 2024 तक होगी। तथापि संतोषजनक कार्य-निष्पादन के शर्ताधीन परामर्श सेवा केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वविवेक पर अगले एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत की जाएगी। फिर भी, परामर्श सेवा को दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा लिखित रूप में एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

10. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को उसकी अर्हताओं एवं अनुभव के आधार पर भारत सरकार के संयुक्त चयन बोर्ड, तथा अन्य मनोनीत विषय विशेषज्ञों, यदि कोई है,द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिमाह 90,000 से 1,50,000/- रु. के बीच के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक के संबंध में, उस प्रयोजन के लिए खुले विज्ञापन के समय विद्यमान स्थितियों के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की चयन/समीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

परामर्शदाता को परामर्श सेवा करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित लाभों को छोड़कर सब्सिडी, मुआवजा या पेंशन जैसे कोई अन्य लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। परमार्शदाता को कर भुगतान से छूट नहीं दी जाएगी और उसे प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए करों का भुगतान करना होगा। आवेदन के साथ परामर्शदाता का हाल का जीवन-वृत्त (सीवी) और पिछली परामर्श सेवा में प्राप्त भुगतान का साक्ष्य संलग्न किया जाना चाहिए।

आवेदन करने के लिए:

उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन सही तरह से भरने का आग्रह किया जाता है जो एनएचएसआरसी की वैबसाइट (http://nhsrcindia.org) पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 मई 2023 है।